तारीख हुक्म	**कैलाश बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी)** सू.अ.अपील संख्या 250/2022	न. व तारी अहकाम इस हुक्म तामील जारी हु
02.09.22	अपीलार्थी कैलाश निवासी 307, सोनल अपार्टमेंट, राजपूत सभा भवन के सामने, पावटा बी रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 28.05.2022 में उसके द्वारा लूणी तहसील के गुड़ा विश्नोईयान पटवार मण्डल के राजस्व गांव भाकरासनी के खसरा न. 172 व 172/2 के संबंध में आज दिनांक तक सम्पूर्ण नामान्तकरण संपरिवर्तन पट्टा विलेख का ब्यौरा उनके सन्दर्भ में जारी आदेश सहित प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	